UPMI010011232024

न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर

पीठासीन अधिकारी: अरविन्द कुमार मिश्रा द्वितीय,
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
यू0 पी0 6030

आर्बिट्रेशन निष्पादन वाद संख्या-**01/2024**

श्रीराम सिटी यूनियन, फाईनेंस लिमिटेड, मीरजापुर ।

बनाम

मिट्ठू बाबू वगैरह

<u>14.03.2026</u>

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी।

डिक्री होल्डर श्रीराम सिटी यूनियन, फाईनेंस लिमिटेड, मीरजापुर के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र-9 ई प्रस्तुत करते हुए उसके निस्तारण पर बल दिया गया।

प्रार्थना-पत्र-9 ई के माध्यम से यह कथन किया गया है कि निष्पादन उपरोक्त में सूचना प्राप्त हुआ है कि निर्णीत ऋणी कम्पनी लोक अदालत द्वारा प्रेषित नोटिस के आधार पर न्यायालय पहुँचकर निष्पादन में समझौता करने हेतु तैयार हो गयी है। ऐसी स्थिति में डिक्रीदार कम्पनी निष्पादन उपरोक्त में अग्रिम कार्यवाही नहीं करना चाहती है। प्रार्थी द्वारा निष्पादन वाद उपरोक्त का सम्पूर्ण निस्तारण सन्तुष्टि के आधार पर किये जाने की याचना की गयी है।

चूंकि निष्पादन उपरोक्त में निर्णीत ऋणी कम्पनी लोक अदालत द्वारा प्रेषित नोटिस के आधार पर न्यायालय पहुँचकर निष्पादन में समझौता करने हेतु तैयार हो गयी है और निष्पादन उपरोक्त में अग्रिम कार्यवाही नहीं करना चाहती है, इसकी पुष्टि स्वयं डिक्री होल्डर श्रीराम सिटी यूनियन, फाईनेंस लिमिटेड, मीरजापुर की ओर से प्रार्थना-पत्र-9 ई के माध्यम से किया गया है। अतः पूर्ण संतुष्टि के आधार पर इस निष्पादन वाद का निस्तारण किया जाना न्याय-संगत होगा। तद्नुसार पूर्ण संतुष्टि के आधार पर यह निष्पादन वाद संख्या-01/2024 निस्तारित किये जाने योग्य है। तद्नुसार प्रार्थना-पत्र-9 ई स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना-पत्र-9 ई स्वीकार किया जाता है। निष्पादन वाद संख्या-01/2024 पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार मिश्रा-**II**)
जनपद न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No. UP 6030